राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	538/2020 गिरिराज / बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/12/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारंभ में निवेदन किया की रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण जानबूझ कर अपीलार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से एकतरफा में गलत रूप से पाबन्द करवा दिया गया है। विचाराधीन आराजीयात के सन्दर्भ में ही अन्य प्रकरण भी पूर्व में प्रस्तुत किये जा चुके है एवं सिविल न्यायाधीश क्रम 17 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/10/2020 भी प्रार्थी/रेस्पो. के संज्ञान में होने के बावजूद भी उनके द्वारा गलत रूप से आदेश जैर अपील प्राप्त किया गया है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 के पूर्वजो द्वारा आपसी सहमती से विवादग्रस्त भूमि का बटवारा कर रखा है जिसका संज्ञान भी प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 को है उक्त तथ्यों के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 के गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को आदेश जैर अपील के माध्यम से प्रतिबन्धित गलत रूप से फरमा दिया गया है। अत: आदेश जैर अपील विधिअनुरूप नही होने से उसकी क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. द्वारा अपनी पुस्तेनी आराजीयात में घोषणा एवं तकासमाँ व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है। जिसका विधिक अधिकार उनके समक्ष मौजूद है। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अपनी अपील में एवं दौराने बहस भी यह कही अंकित नही करवाया है कि विवादग्रस्त भूमि रेस्पो. संख्या 1 की पुस्तेनी आराजीयात नही है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि वह सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 17 सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम की किसी भी कार्यवाही में उपस्थित नही हुये है एवं न ही वे उक्त प्रकरण में पक्षकार है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के अंत में हमारा ध्यान आदेश जैर अपील की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	538/2020 गिरिराज / बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमे अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर मौजूद है किन्तु अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होकर अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी है जो विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत है। अपीलार्थी द्वारा इस अपील के माध्यम से उद्धरित किये गये तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। अत: अपील अपीलार्थी संधारणीय नही होने से ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मूलतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध है जिसके सन्दर्भ में अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा उठाई गयी आपत्ति उचित प्रतीत होती है कि अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद होने के पश्चात भी अपीलार्थी द्वारा ऐसा नही कर अन्तरिम आदेश जैर अपील को इस अपील के माध्यम से चुनोती दी गयी जबकि अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्यों को सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उद्धरित किया जाना विधिअनुसार आवश्यक है तत्तपश्चात ही व्यथित होने पर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये। चूँकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 05/01/2021 तक के लिये पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 07/12/2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमे अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/01/2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है। अत: ऐसी परिस्थिति में इस अपील के माध्यम से अन्तरिम आदेश जैर अपील दिनांक 07/12/2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर ख़ारिज की जाती है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे उनके समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक 05/01/2021 को उभयपक्षों की समुचित सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	538/2020 गिरिराज / नाथूलाल	

समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/01/2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर